# बिहार सरकार
# राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन निदेशालय)

संचिका सं0–14 / डी0एल0ए0–(प्राधिकार)–नियुक्ति–11 / 2023–................................ / रा0,

## अधिसूचना

पटना, दिनांकः–.........................

1. भूमि–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम–2013 (RFCTLARR Act-2013) के अध्याय–VIII की धारा–51 के अंतर्गत समुचित सरकार (Appropriate Government) द्वारा अधिसूचना जारी कर भू–अर्जन संबंधी मुआवजा भुगतान, पुनर्वास एवं पुनःस्थापन से संबंधित विवादों के त्वरित निपटारे तथा अधिनियम की धारा–64(1) के अंतर्गत निर्देश मामलों (Reference cases) की सुनवाई हेतु एक या अधिक भूमि–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार (Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Authority) की स्थापना का प्रावधान है।

2. बिहार भूमि–अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियमावली–2013 के नियम–35 के तहत राज्य के प्रत्येक राजस्व प्रभाग के मुख्यालयों **यथा**–पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सारण, मुंगेर, सहरसा, पूर्णियां, गया एवं भागलपुर में भूमि–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार की स्थापना, उसे प्रदत अधिकारिता, शक्ति एवं प्राधिकार का प्रयोग करने के लिए की गई है। पीठासीन पदाधिकारी (Presiding Officer) प्राधिकार के अध्यक्ष हैं।

3. प्राधिकार के पीठासीन पदाधिकारी की नियुक्ति हेतु राजस्व विभागीय आदेश सं0–1471 / रा0, दिनांक–29.12.2015 द्वारा गठित चयन समिति की बैठक दिनांक–09.01.2026 एवं दिनांक–08.06.2026 की कार्यवाही में संसूचित अनुशंसा के आलोक में राज्य के सभी प्रमंडलीय मुख्यालयों में स्थापित भूमि–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार न्यायालयों में निम्नांकित स्तंभ–2 में उल्लेखित सेवानिवृत्त न्यायिक पदाधिकारियों को स्तंभ–4 में उल्लेखित प्राधिकार न्यायालय में पीठासीन पदाधिकारी के पद पर अगले आदेश तक के लिए नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता हैः–

| क्र0 | पदाधिकारी का नाम / पता | पद / कार्यालय जहाँ से सेवानिवृत्त हुए हैं। | पदस्थापन प्राधिकार |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | **श्री अली अहमद,**<br>ग्राम–भभटा, डाकघर–भभटा, थाना–साठी,जिला–पश्चिम चम्पारण, बिहार, पिन–845449 | सेवानिवृत्त,<br>जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खगड़िया | भूमि–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर |
| 2 | **श्री सम्पूर्णानन्द तिवारी,**<br>मो0–N 12 / 237–06,<br>जज कॉलोनी, तुलसीपुर जख्खा, डाकघर–बजरडीहा, थाना–भेलूपुर, जिला–वाराणसी, उत्तर प्रदेश, पिन–221106 | सेवानिवृत्त,<br>अध्यक्ष, राज्य परिवहन अपीलीय प्राधिकार, पटना। | भूमि–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार, सारण |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | **श्री देवराज त्रिपाठी,**<br>मो0–कौशलपुरम, रामजानकीनगर,<br>जी.डी. मेमोरियल स्कूल के पीछे,<br>डाकघर–बसारतपुर, थाना–चिलुआटाल,<br>जिला–गोरखपुर, उत्तर प्रदेश,<br>पिन–273004 | सेवानिवृत्त,<br>प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,<br>पू0चंपारण (मोतिहारी)। | भूमि–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार, दरभंगा |
| 4 | **श्री विजय आनन्द तिवारी,**<br>मो0–मकान नं0–C-141/291,<br>नन्द भवन, हुमायूँपुर दक्षिणी,<br>जिला–गोरखपुर, उत्तर प्रदेश,<br>पिन–273001 | सेवानिवृत्त,<br>प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,<br>वैशाली, हाजीपुर। | भूमि–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार, भागलपुर |
| 5 | **श्री विनोद कुमार तिवारी,**<br>मो0–फ्लैट सं0–402,<br>लक्सेनिया होम्स, दीघा,<br>डाकघर–दीघा, थाना–दीघा,<br>जिला–पटना, बिहार, पिन–800012 | प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,<br>दरभंगा | भूमि–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार, गया |
| 6 | **श्री राकेश मालवीय,**<br>ग्राम–149, मिलेनियम सिटी कॉलोनी,<br>डाकघर–चारगांवां,<br>थाना–चिलुआताल, जिला–गोरखपुर<br>उत्तर प्रदेश, पिन–273013 | प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,<br>गोपालगंज | भूमि–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार, मुंगेर |
| 7 | **श्री राधे श्याम शुक्ला,**<br>मो0–91–92 सी रिचमंड विला,<br>गौरव विहार कॉलोनी,<br>निकट–रमा डिग्री कॉलज,<br>डाकघर–चिनहट, थाना–चिनहट,<br>जिला–लखनऊ,<br>उत्तर प्रदेश, पिन–226028 | प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,<br>कैमूर (भभुआ) | भूमि–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार, पूर्णियां |
| 8 | **मो0 हस्मुद्दीन अंसारी,**<br>मो0–वार्ड नं0–23,<br>माधवपुरम–डिघवा खुर्द,<br>डाकघर–कसया, थाना–कासया,<br>जिला–कुशीनगर–274402 | प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,<br>नालंदा (बिहार शरीफ) | भूमि–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार, कोशी (सहरसा) |
| 9 | **श्री हेमंत कुमार त्रिपाठी,**<br>मो0–फ्लैट नं0–401,<br>आयुषी अपार्टमेंट,<br>झुनझुन महल, रोड नं0–01,<br>डाकघर–गर्दनीबाग,<br>थाना–गर्दनीबाग, जिला–पटना<br>बिहार, पिन–800001 | प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,<br>कटिहार | भूमि–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार, पटना |

**4.** उपर्युक्त सेवानिवृत जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को प्राधिकार के पीठासीन पदाधिकारी के पद पर उनके द्वारा पदग्रहण की तिथि से तीन वर्ष अथवा 65 वर्ष आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले घटित हो, नियुक्त किया जाता है।

5. विभागीय अधिसूचना सं0–484/रा0 दिनांक–07.04.2016 द्वारा स्थापित प्रत्येक प्राधिकार की अधिकारिता एवं कार्यक्षेत्र संबंधित प्रमंडल के अधीनस्थ सभी जिलों में होगी। बिहार भूमि–अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियमावली–2014 के नियम–36 के अंतर्गत प्राधिकार को झूठे दावों इत्यादि के माध्यम से लिये गये पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन लाभों की वसूली की शक्ति होगी।

6. प्राधिकार के पीठासीन पदाधिकारी के वेतन एवं भत्ते उनकी सेवानिवृत्ति के समय उनके द्वारा अंतिम आहरित पारिश्रमिक, घटाव पेंशन के समतुल्य होगा। इसके अतिरिक्त, वे अपना पेंशन एवं स्वयं पर लागू संबंधित नियमों के अधीन प्रोद्भूत अन्य लाभ आहरित करेंगे।

7. पीठासीन पदाधिकारी की अन्य सेवा शर्तें वही होगी जो बिहार राज्य में कार्यरत जिला न्यायाधीश पर लागू होंगे। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा समय–समय पर निर्गत एतद् संबंधी पत्र/परिपत्र के प्रावधान प्रभावी होंगे।

8. पीठासीन पदाधिकारी के वेतनादि से संबंधित व्यय भार मुख्य शीर्ष 2029 भू–राजस्व 001 निदेशन और प्रशासन 0004 भू–अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार मांग सं0–40 विपत्र कोड संख्या–एन 2029000010004 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

9. पीठासीन पदाधिकारी का वेतनादि भुगतान राजस्व विभागीय ज्ञापांक–1291/रा0 दिनांक–20.11.2015 द्वारा पीठासीन पदाधिकारी के सृजित स्थायी पदों के विरूद्ध किया जायेगा तथा राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी। इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्राधिकार के अधीन कार्यरत निबंधक (Registrar) होंगे।

10. नवनियुक्त सभी पीठासीन पदाधिकारियों को निदेशित किया जाता है कि नियुक्ति पत्र प्राप्ति की तिथि के सात दिनों (एक सप्ताह) के भीतर वे अपने पदस्थापन कार्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।

11. यह आदेश तुरंत प्रभावी होगा।

**बिहार राज्यपाल के आदेश से,**
**ह0/–**
**(कमलेश कुमार सिंह)**
**निदेशक,**
**भू–अर्जन, बिहार, पटना।**

ज्ञापांक:–14/डी0एल0ए0–(प्राधिकार)–नियुक्ति–11/2023– पटना, दिनांक:–.......................

प्रतिलिपि:–ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि इस अधिसूचना का प्रकाशन बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में करने की कृपा की जाय।

**ह0/–**
**निदेशक,**
**भू–अर्जन, बिहार, पटना।**

ज्ञापांकः–14 / डी0एल0ए0–(प्राधिकार)–नियुक्ति–11 / 2023– पटना, दिनांकः–..........................

प्रतिलिपिः–सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी समाहर्त्ता / सभी अपर समाहर्त्ता तथा सभी जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
**निदेशक,**
**भू–अर्जन, बिहार, पटना।**

ज्ञापांकः–14 / डी0एल0ए0–(प्राधिकार)–नियुक्ति–11 / 2023– पटना, दिनांकः–..........................

प्रतिलिपिः–निबंधक, भूमि–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार, पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सारण, मुंगेर, सहरसा, पूर्णियां, गया एवं भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
**निदेशक,**
**भू–अर्जन, बिहार, पटना।**

ज्ञापांकः–14 / डी0एल0ए0–(प्राधिकार)–नियुक्ति–11 / 2023– पटना, दिनांकः–..........................

प्रतिलिपिः–महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय, पटना / महाधिवक्ता, बिहार, उच्च न्यायालय, पटना / महालेखाकार, बिहार, पटना / वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
**निदेशक,**
**भू–अर्जन, बिहार, पटना।**

ज्ञापांकः–14 / डी0एल0ए0–(प्राधिकार)–नियुक्ति–11 / 2023– पटना, दिनांकः–..........................

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना / सभी विभागीय अपर मुख्य सचिव / सभी विभागीय प्रधान सचिव / सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
**निदेशक,**
**भू–अर्जन, बिहार, पटना।**

ज्ञापांकः–14 / डी0एल0ए0–(प्राधिकार)–नियुक्ति–11 / 2023– पटना, दिनांकः–..........................

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
**निदेशक,**
**भू–अर्जन, बिहार, पटना।**

ज्ञापांकः–14 / डी0एल0ए0–(प्राधिकार)–नियुक्ति–11 / 2023– पटना, दिनांकः–..........................

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार पटना के आप्त सचिव एवं सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
**निदेशक,**
**भू–अर्जन, बिहार, पटना।**

ज्ञापांकः–14 / डी0एल0ए0–(प्राधिकार)–नियुक्ति–11 / 2023– पटना, दिनांकः–..........................

प्रतिलिपिः–प्राधिकार के नवनियुक्त सभी पीठासीन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि अपना योगदान अपने पदस्थापन कार्यालय में एक सप्ताह के अंदर देने की कृपा की जाय।

ह0 / –
**निदेशक,**
**भू–अर्जन, बिहार, पटना।**

ज्ञापांकः–14 / डी0एल0ए0–(प्राधिकार)–नियुक्ति–11 / 2023– 1402/रा0, पटना, दिनांकः– 06.08.26

प्रतिलिपिः–आई.टी.मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर यथास्थान रक्षित करने हेतु प्रेषित।

6/8/26
**निदेशक,**
**भू–अर्जन, बिहार, पटना।**